नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
(जिला सामान्य शाखा)

संचिका सं0–25–06/2019 पत्रांक ...../सा0, दिनांक ...../2019

–: अल्पकालीन निविदा :–

एतत द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार पुलिस अकादमी राजगीर परिसर में High Power Booster मोबाईल टावर अधिष्ठापन हेतु टेलिकॉम कम्पनियों से सील बंद निविदा प्राप्त करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित की जाती है, जो अलग–अलग लिफाफे में होगी।

निविदादाताओं को जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पदनाम से मो0–25,000/रूपये का जमानत राशि (Security Money) बैंक ड्राफ्ट (जो राष्ट्रीयकृत बैंक का होना चाहिए) के रूप में जमा मान्य होगा। इच्छुक टेलिकॉम कम्पनी दिनांक–10.01.2020 के अपराह्न 01:00 बजे द्वि–लिफाफा प्रणाली में जिला सामान्य शाखा, नालन्दा के कार्यालय में निविदा दाखिल कर सकते है। प्राप्त निविदा को दिनांक 11.01.2020 को अप0 03.30 बजे जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोलते समय निविदात्ता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। अल्पकालीन निविदा को जिला के बेवसाईट :– http://nalanda.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

(क) तकनीकी निविदा की आवश्यक शर्त्ते :–

1. प्राधिकृत फॉर्क का ट्रेड सर्टिफिकेट की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
2. अग्रधन के रूप में मो0–25,000/–रू0 का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा, जो जिला पदाधिकारी के नाम से भुगतेय होगा।
3. निविदा के साथ विगत 3 वर्षों का आयकर प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. जी0एस0टी0 का निबंधन प्रमाण–पत्र जमा करना होगा।
5. आयकर दाता होने का प्रमाण–पत्र अथवा पैन कार्ड आदि का स्वयं अभिप्रमाणित प्रति।
6. काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने का शपथ–पत्र देना होगा।
7. फॉर्म का बैंक खाता का संख्या दर्शाने के लिए रद्दीकृत (कैसिंल) चेक का प्रति संलग्न करना होगा।

(ख) अन्य शर्ते

1. दूरसंचार सेवा प्रदाता कम्पनियों/आधारभूत संरचना कम्पनियॉ सृजित की जाने वाली संरचना की सुरक्षा के लिए मूल रूप से जिम्मेवार होंगे। वे भूकम्परोधी गुणवत्तायुक्त संरचना स्थापित करेगी। साथ ही साथ स्थापित की जाने वाली संरचना के लिये समुचित सुरक्षा घेरा स्थापित करेगी।
2. जिले के भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा इसकी जॉच करे संतुष्ट हो लिया जायेगा। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल को 30 दिनों के अंदर अपना अभिमत संसूचित करना होगा।
3. सम्पत्ति सृजन या संधारण की प्रक्रिया में सरकारी भूमि/भवन को होने वाली किसी भी क्षति की पुर्नस्थापना, दूरसंचार सेवा प्रदाता कम्पनियों/आधारभूत संरचना कम्पनियों द्वारा अपने खर्च पर की जायेगी। साथ ही किसी प्रकार की दुर्धटना या क्षति के लिये वे समुचित क्षतिपूर्त्ति सुनिश्चित करेगी।
4. बिहार सरकार आवश्यकतानुसार इन टॉवरो में निःशुल्क कैमरे या अन्य उपस्कर लगा सकेगी।
5. इस प्रकार अनुमति प्राप्त स्थापित किये गये दूरसंचार ढॉचा का उपयोग आवेदक से भिन्न अन्य दूरसंचार कम्पनियॉ भी कर सकेगी। चूँकि चयनित कंपनियों को मोबाईल टॉवर स्थापित करने हेतु सरकारी भूमि/भवनों के उपयोग की अनुमति खुली निविदा के माध्यम से दी जानी है, इस कारण से "दूरसंचार सेवा प्रदात्ता कम्पनियॉ/आधारभूत संरचना कम्पनिया" के साथ टॉवर/आधारभूत संरचना साझा करने का अधिकार सफल निविदादाता का होगा एवं इसके लिए अतिरिक्त राशि नहीं ली जायेगी एवं निविदा को बिना कारण बताए किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
(जिला सामान्य शाखा)

संचिका सं0–25–06/2019 पत्रांक 1216 /सा0. दिनांक 18/12/2019

6. टॉवर स्थापित करने के लिये स्वीकृति प्राधिकार एवं दूरसंचार सेवा प्रदाता कम्पनियॉ/आधारभूत संरचना कम्पनियॉ के मध्य एकरारनामा संपादित होगा। प्रारम्भिक अनुमति 5 वर्ष के लिये दी जायेगी। 05 वर्षो के उपरान्त प्रारंभिक शुल्क में 50 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर पुनः 05 वर्षो के लिए अनुमति विस्तारित की जा सकेगी, जो आगे भी क्रमिक रूप से उसी सिद्धांत के आधार पर विस्तारित की जा सकेगी। अर्थात 5 वर्षो के उपरान्त अनुमति विस्तारित होने पर पुनः प्रारंभक शुल्क 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ जमा की जानी होगी एवं इस वर्द्धित राशि का 20 प्रतिशत सालना आवर्त्ती शुल्क अगले 5 वर्षो के लिए निर्धारित होगी। दूरसंचार सेवा प्रदात्ता कम्पनियॉ/आधारभूत संरचना कम्पनियॉ बिहार सरकार एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित किये जाने वाले नियम, अधिनियम एवं आदेशों का पालन सुनिश्चित करेगें।

7. इस नीति के तहत स्थापित होने वाली दूरसंचार आधारभूत संरचना पर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निरूपित " बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012" एवं अन्य संगत विधान भी लागू रहेंगे। उक्त नियमावली में विहित सक्षम प्राधिकार द्वारा 30 दिनों के अंदर अपना अभिमत/निर्णय संसूचित करने की अपेक्षा होगी।

8. मोबाईल टॉवर अधिष्ठापन से संबंधित तकनीकी विषयों पर समय–समय पर सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा दिशा–निदेश जारी किये जा सकेंगे।

9. आवर्त्ती शुल्क का भुगतान नहीं होने की दशा में लाईसेंस एकरारनामा में विहत नोटिस देकर एकरारनामा समाप्त किया जा सकेगा। बकाये शुल्क आदि तथा उस पर उद्भुत सूद राजस्व के बकाये के रूप में लोक मॉग अधिनियम, 1914 के अन्तर्गत वसूलनीय होगी।

आमत्रंण सूचना के साथ सूचना प्रावैधिकी विभाग के ज्ञापांक–1140, पटना दिनांक–21.08.2017 एवं Model License Agreement की प्रति साथ सलंग्न है।

18.12.19

उप समाहर्त्ता प्रभारी
जिला सामान्य शाखा नालन्दा।
18/12/19

अपर समाहर्त्ता,
नालन्दा।

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा।